कार्यकारिणी सारांश

झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP)

प्रारूप

पर्यावरण एवं सामजिक प्रभाव आकलन

वर्षा–जल निकासी नाला, धनबाद

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO)

जनवरी, 2018

कार्यकारिणी सारांश :–

परिचयः– झारखंड सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) को नगरीय सेवा प्रदान करने एवं नगरीय प्रबंधन क्षमता में चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सुधार लाने के उद्देश्य से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) बनाया है। जेएमडीपी झारखंड के विभिन्न जिलों में कई उप–परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन पर जोर देता है। झारखंड सरकार ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लिमिटेड) की पहचान की है जो जेएमडीपी को निष्पादित करने के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।

झारखंड सरकार विश्व बैंक से जेएमडीपी की लागत के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है एवं पर्यावरण तथा सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ) तैयार करने और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) आयोजित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण के हिस्से को लागू करने का विचार रखती है।) धनबाद वर्षा–जल निकासी नाला योजना को जेएमडीपी के तहत कार्यान्वयन के लिए उप–परियोजनाओं में से एक के रूप में चुना गया है।

परियोजना का उद्देश्य पुरे शहर में मास्टर योजनाओं और डिजाइनों के आधार पर श्हरी नेटवर्क में वर्षा–जल निकासी नाला के पानी के प्रवाह में सुधार करना है। मुख्य शहरी इलाकों में जल–जमाव की समस्याओं एवं वर्षा के कारण उत्पन्न जलप्लावन की समस्या को दूर करने के लिए सड़क किनारे की नालियों में सुधार करने का प्रस्ताव है।

धनबाद शहर के वर्षा–जल निकासी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित कार्यों में 153.95 किलोमीटर (धनबाद क्षेत्रः 112.26 कि0मी0 और सिंदरी क्षेत्रः 41.70 की0मी0) नए नालों का निर्माण सम्मिलित है जिसमें जलाशय के किनारे गाद जाल एवं 94 आउटफॉल संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं। यह कार्य प्रस्तावित नालों के सतह तथा अनुभाग को वर्तमान नाला तथा कलवर्ट से मिलान कर पुर्नप्रतिष्ठापित किया जाना है। यह ईंट की चिनाई में सभी नालियों को 0.6 मीटर (गहराई) तक बनाने और उचित स्थिरता और ताकत के लिए आरसीसी में 0.6 मीटर की गहराई से निकास करने का प्रस्ताव है। यह टाइप A एवं टाइप B के RCC नालों को प्री–कास्ट RCC द्वारा ढंकने एवं टाइप C वाले RCC नालों को यथास्थान ढंकने का भी प्रस्ताव है।

परियोजना की गतिविधियां तालिका 8 में वर्णित विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां ओपी 4.01(पर्यावरण आकलन), ओपी 4.11 भौतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, ओपी 4.12 (अनौपचारिक पुनर्वास) को गति देगा।

ईएसएमएफ में दिए गए दिशाानिर्देशों के अनुसार, परियोजना को ई–2 (अनुकूल पर्यावरणीय प्रभावों को मोटे तौर पर प्रतिवर्ती और स्थल–विशेष, अस्थायी) और एस–1 (प्रतिकूल अपरिवर्तनीय सामाजिक प्रभावों के साथ महत्वपूर्ण) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, ईएसआईए रिपोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार की गई है और ईएसआईए रिपोर्ट में परियोजना का विवरण, विकल्प का विश्लेषण, पर्यावरणीय आधार रेखा, परियोजना प्रभाव क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन, पुनर्स्थापन कार्य योजना एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना, बैंक ओपी 4.01 श्रेणी B परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। डब्ल्यूबीजी ईएचएस दिशानिर्देशा और उद्योग क्षेत्र दिशानिर्देश,

आईएफसी ईबीआरडी वर्कर आवास दिशानिर्देश, उपयुक्त पर्यावरण प्रबंधन उपायों की सिफारिश करने के लिए उपयोग किया गया है।

लागू पर्यावरण एवं सामाजिक नीतियाँ :–

मुख्य पर्यावरण और सामाजिक कानून एवं कानून जो लागू हैं, जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 2012; वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981; निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000; केन्द्रीय मोटर एवं वाहन अधिनियम 1988, बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण सेस अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण के लिए वाहनों के लिए पीयूसी; बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016; भारतीय वन अधिनियम, 1927 (वृक्ष पातन की अनुमति) MOEFCC; फ्लाई ऐश अधिसूचना, 2009; खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और बाध्यकारी आंदोलन) नियम, 2016; ठोस अपशिष्ट (हैंडलिंग एवं मैनेजमेंट) नियम, 2016; निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; दश श्रम कानून और सड़क विक्रेताओं (जीवन रक्षा और सड़क वेंडिंग के विनियमन का संरक्षण) अधिनियम, 2014 इसके अलावा, यदि कोई सांस्कृतिक धरोहर पाया जाता है तो इसके उपनियम एवं प्रक्रियाओं को संवेदक के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जायेगा।

सार्वजनिक और हितधारक परामर्श :–

हितधारक परामर्श दो बार आयोजित किया गया– (क) ई एंड एस मूल्यांकन के दौरान (जनवरी–मार्च 2017) और (ख) ड्राफ्ट ईएसआईए (6 अक्टूबर 2017) की तैयारी के बाद। परामर्श प्रक्रिया के दौरान उप–परियोजना से संबंधित कार्यसूची जैसे सूचनाएं, शामिल प्रक्रियाएं, परियोजना घटक, संभाव्यताएं, शिकायत निवारण तंत्र का अधिकार आदि प्रसारित किया गया था। प्रारंभिक परामर्श अवधि के दौरान शमन उपायों पर प्रतिक्रिया और अन्य सम्बंधित प्रतिक्रिया भी शिाकायत निवारण तंत्र से एकत्र किया गया था। एक दूसरा परामर्श 6 अक्टूबर, 2017 को आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय समुदाय, हितधारक, पीएपी, यूएलबी के सदस्य एवं सरकारी अधिकारी शामिल थे, जहां ईएसआईए के मसौदे पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गयी थी।

RAP एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स को हितधारक बैठक में संबोधित किया गया था। ESIA पर प्रतिक्रिया के साथ–साथ संभावित सुझावों पर भी चर्चा की गई थी।

अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियिम, 2013; कर्मचारी पीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; बाल श्रम (निषेध और निमयमन) अधिनियम 1986; अंतराज्यीय प्रवासी श्रमिकों (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1979; भवन और अन्य निर्माण कार्य (रोजगार नियमन और सेवा की शर्त्तें) अधिनियम 1996; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; साप्ताहिक छुट्टियां अधिनियम 1942; नियोक्ता का दायित्व अधिनियम 1938; बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 आदि।

प्रभावों का आकलन :–

वर्तमान रिपोर्ट में प्रस्तावित धनबाद वर्षा–जल निकासी नाला के लिए ईएसआईए के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है जो परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप संभावित पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के बारे में है। निर्माण चरण के दौरान अपेक्षित पर्यावरण प्रभावों में वायु (अस्थायी और नगण्य) एवं ध्वनि प्रदूषण (अस्थायी और मामूली), मिट्टी का क्षरण (अस्थायी और नगण्य), निर्माण क्षेत्र के पास पानी की गुणवत्ता में गिरावट (अस्थायी और नगण्य) शामिल है। परियोजना के प्रमुख प्रभावों के निर्माण चरण के दौरान वायु एवं ध्वनि की गुणवत्ता में गिरवाट, कामकाज और स्थानीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रभावों, यातायात मोड़ और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, निजी संपत्तियों तक पहुंच, निर्माण के कारण मलबे का उत्पादन (तोड़फोड़ एवं खुदाई गतिविधियों के A एवं नालियों से उत्पन्न गाद का निपटान आदि द्वारा) प्रस्तावित वर्षा–जल निकासी नाला का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप जल–जमाव, बाढ़, संबंधित संपत्ति के नुकसान में कमी, जल–जनित बीमारियों में कमी तथा भूजल प्रदूषण में कमी होगी जो अंततः शहर की सुंदरता में वृद्धि के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ करेगा। परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कुल 23,635 की संख्या में परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) होंगे।

रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना द्वारा प्रेरित पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों पर प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने, कम करने और नियंत्रित करने के उपाय भी सुझाव गए हैं। नीति, कानूनी और संस्थागत रूपरेखा जो इएसआईए द्वारा संचालित की गई थी, के तहत भी इस रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

इस अध्ययन में पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (इएसएमपी) और पुर्नस्थापन सामाजिक प्रबंधन योजना (आरएसएमपी) का विकास शामिल है, जो उपशमन उपायों, प्रस्तावित उपायों, निगरानी की रणनीति के कार्यान्वयन के साधन और प्रस्ताव के कार्यान्वयन से जुड़े लागतों के बारे में बताता है। अध्ययन के भाग के रूप में विकसित ईएसएमपी प्रस्तावित शमन उपायों के कार्यन्वयन के लिए 58.7 लाख रूपये की बजटीय आवश्यकता का प्रस्ताव करता है। यह अध्ययन कियोस्क/विक्रेता/हॉकर के आजीविका के अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए 26.20 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव करता है।

ईएसएमपी पर्यवेक्षण के लिए संस्थागत एवं कार्यन्वयन व्यवस्थाः–

रांची में जुडको स्थित राज्य पीएमयू पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। एक पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू में पहले से ही कार्यरत है। धनबाद में स्थित परियोजना कार्यन्वयन इकाई (पीआईयू) PMU को सहयोग करेगा जो ईएसएमपी और आरएपी को कार्यान्वयन के दिन–प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा। पीएमयू विशेषज्ञ पीआईयू और अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं में विशेषज्ञ की क्षमताओं को प्रशिक्षित और सुदृढ करेंगे। यह परियोजना, परियोजना के तहत आरएपी और अन्य सामाजिक गतिशीलता/आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए योग्य परामर्श फर्म/नागरिक सामाजिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की नियुक्ति करेगा। संवेदक की टीम ईएसएमपी और पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी को लागू करने के लिए एक योग्य ईएचएस अभियंता शामिल करेगी। निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्शदाता की नियुक्ति प्रक्रिया में हैं और इसमें ईएसएमपी, श्रम प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं और कचरा पबंधन प्रक्रियाओं के अनुपालन को

सत्यापित करने के लिए एक समर्पित पर्यावरण, सामाजिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। सीएसक्यूसी परामर्शदाता टीम में कार्यस्थल सुरक्षा की निगरानी हेतु एक समर्पित निर्माण सुरक्षा अधिकारी को शामिल करेगा। सीएसक्यूसी के लिए कार्य का दायरा परिशिष्ट आठ (8) में उल्लिखित है।

जुडको पीएमयू द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) धनबाद वर्षा–जल निकासी नाला परियोजना के सभी संबंधित सुरक्षा उपायों के समन्वय, समीक्षा, समर्थन और निगरानी के लिए पीएमयू और पीआईयू के सामाजिक और पर्यावरण विशेषज्ञ को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

निर्माण कार्य के दौरान संवेदक द्वारा इएसएमपी, श्रम प्रबंधन एवं ओएचएस प्रबंधन के अनुपालन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पीआईयू तथा सीएसक्यूसी द्वारा किया जायेगा जिसका औपचारिक निरीक्षण पीएमयू कर्मियों द्वारा किया जायेगा। कार्यों का एक सेफगार्ड अंकेक्षण किया जायेगा जिसे एक स्वतंत्र परामर्शी द्वारा संपन्न किया जायेगा।